# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in


क्रमांक :–एफ–7( )रालसा/संस्था/PLA Chairman/2020/600 दिनांकः– 16–10–2020

## कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22–बी के अधीन जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय झालावाड़ पर स्थापित स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री रामनिवास जाट, सेवानिवृत जिला न्यायाधीश का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप रिक्त हुये पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नवीन पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ को स्थाई लोक अदालत, झालावाड़ के अध्यक्ष का कार्य (As a Part time Chairperson) करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

अधिकारी को स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष का कार्य करने पर नियमानुसार मानदेय देय होगा।

स्थाई लोक अदालत की बैठकों के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 4520–54 दिनांक 10.05.2012 में वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

आज्ञा से,

16.10.2020

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांकः–एफ–7 (76/2)/रालसा/निदेशक/पी.एल.ए.गठन/2017/33330 to 33342 दिनांकः– 16.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, श्रीमान सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़।
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़।
8. स्थाई लोक अदालत, जरिये अध्यक्ष झालावाड़।
9. निदेशक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव–प्रथम, रालसा, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, जिला झालावाड़।
11. नोडल ऑफिसर, विभागीय वेबसाईट, रालसा, जयपुर/राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
12. उप सचिव (प्रशासन) गैर न्यायिक, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, प्रशासनिक अधिकारी, प्रोग्रामर, रालसा, जयपुर।
13. आदेश/संबंधित/रक्षित पत्रावली।

निदेशक

# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांक/स्थाई लो.अ./2012/4520-4554 दिनांक:- 10-5-2012

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान

विषयः जनोपयोगी सेवाओं के लिये गठित स्थाई लोक अदालतों के बारे मे दिशानिर्देश भिजवाने कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि इस प्राधिकरण को, विभिन्न अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से प्राप्त, प्रकरण निस्तारण की सूचनाओं एवं इस हेतु उठाये गये भुगतान राशि के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ स्थाई लोक अदालतों के समक्ष, जहा दर्ज प्रकरणों की संख्या बहुत कम है एवं जहां ऐसे प्रकरणों के निस्तारण की संख्या भी बहुत कम है किन्तु इस बाबत आयोजित स्थाई लोक अदालतों की बैठकों की संख्या, एक माह में कई बार की जाकर, उठाये जाने वाले भुगतान की राशि अधिक रही है। अर्थात मुकदमों का निस्तारण आयोजित की जाने वाली स्थाई लोक अदालतों की बैठकों के अनुपात में नहीं हो पा रहा है।

इस कम मे यहां यह भी प्रकट हुआ है कि कुछ स्थाई लोक अदालतों में कई प्रकरण तत्समय निस्तारित नहीं किये जाकर कई वर्षो से इनमें पेशिया बढ़ाई जाती रही है। अर्थात स्थाई लोक अदालत के समक्ष ऐसे प्रस्तुत आवेदन को लम्बे समय तक निस्तारित नहीं हो पाने से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की भावना की अनुपालना नहीं हो पा रही है।

अतः निर्देशानुसार अधिनियम की भावना की प्रभावी अनुपालना तथा निस्तारित प्रकरणों व आयोजित बैठकों की संख्या में सामजंस्य स्थापित करने को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार निर्देश इस बाबत सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को जारी किये जाते है:-

1. जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित आवेदन, स्थाई लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने के उपरान्त, लोक अदालत द्वारा यह सुनिश्चित करते हुये कि वर्णित आवेदन अधिनियम के अध्याय-6-ए के प्रावधानों के अधीन पोषणीय है या नहीं, निस्तारण की कार्यवाही करें।
2. प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली स्थाई लोक अदालत की बैठक सामान्यतः प्रतिमाह अधिकतम संख्या दो सुनिश्चित की जावे किन्तु जहां प्रकरणों की संख्या अत्यधिक है तो इसके लिये संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण के समक्ष, आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या में उचित बढ़ौतरी हेतु, प्रतिवेदन प्रेषित कर सकते है।
3. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उनके समक्ष लम्बित प्रकरण को अधिनियम की भावनानुरूप, पत्रावली पर जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करवाये जाने के तुरन्त उपरान्त emicable settlement के जरिये निस्तारित करवाये जाने का प्रयास करें तथा आवश्यकता होने पर, अधिनियम के

Scanned by CamScanner

अध्याय–6–ए के अनुसार अविलम्ब निस्तारित करावें अर्थात ऐसे प्रकरणों में बार–बार पेशियों का बदला जाना माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा उचित नहीं माना गया है

4. जनोपयोगी सेवाओं के प्रकरणों मे, प्रकरण संस्थित होने पर, बाद जांच व आवश्यक कार्यवाही, कार्यालय द्वारा तुरन्त नोटिस जारी किये जावे तथा दोनों पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चत होने पर अविलम्ब प्रकरण विधि अनुसार निस्तारित करें।
5. लम्बे समय से लम्बित जनोउपयोगी सेवाओं के प्रकरणों को तुरन्त निस्तारित किया जा तथा यह सुनिश्चित किया जावें कि कोई भी प्रकरण अधिक समय तक लम्बित नहीं रहे।

अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि जनपयोगी सेवाओं के लिये गठित लोक अदालतों के संबंध उपरोक्त वर्णित दिशानिर्देशो की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये इस पत्र की पावती की सूचना इ कार्गलय को भिजवाने का का श्रम करें।

भवदीय,

( के.बी.कट्टा )
सदस्य सचिव,